न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

NEWS LETTER

Month - November 2020

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Court Based Legal Services

Lok Adalat Programmes

Online Lok Adalat

With a view to resolve disputes of parties, the M.P. SLSA designed formats for conducting e-Lok Adalat. Accordingly, Special Lok Adalats for all matters through online mode was scheduled on **07.11.20** at the High Court level.

Disposal at High Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
93	86	1,01,33,000/-	460

Disposal at Distt. Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
737	102	1,04,74,385	465

Total Disposal (High Court + District Court)

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
830	188	2,06,07,385	925

The natures of matters disposed through online mode are MACT, NI Act, Civil Disputes and Criminal Compound matters.

Preparation of National Lok Adalat (12.12.2020)

Pre sitting meetings conducted by DLSAs for making successful National Lok Adalat

DLSA DATIA

DLSA SIDHI

DLSA GUNA

DLSA MANDLESHWAR

DLSA ALIRAJPUR

DLSA HOSHANGABAD

नेशनल लोक अदालत के लिए बिजली कंपनी व बैंक के साथ की बैठक

करैरा (नईदुनिया न्यूज)। बुधवार को तहसील विधिक सेवा समिति करैरा ने 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिए विद्युत विभाग व बैंक अधिकारियों के साथ न्यायालय प्रांगण में कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए प्री-सिटिंग बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने लोक अदालत में रखे जाने वाले प्री लिटिगेशन प्रकरणों में प्री सिटिंग के माध्यम से विद्युत अधिनियम, बैंक इत्यादि प्रकरणों को सरलता पूर्वक निपटान करने के संबंध में संबंधित अधिकारीगण को निर्देशित किया। बैठक में मुख्यत: प्री लिटिगेशन के माध्यम से प्रकरण न्यायालय आने से पूर्व भी निराकृत किए जाने पर बल देकर न्यायालय में लंबित प्रकरणों के उचित रूप से समझौता शुल्क ग्रहण कर निराकरण पर बल दिया गया। विद्युत चोरी के मामले में न्यायालय में लंबित प्रकरण में 25 प्रतिशत व विद्युत विभाग द्वारा निर्मित प्रकरण न्यायालय में संस्थित नहीं किए गए है। उसमें 40 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

इस अवसर पर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, विपेन्द्र सिंह यादव, मोहित श्रीवास्तव, दयाल सिंह सूर्यवंशी, विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री पाराशर, सहायक यंत्री, समस्त डीसी के कनिष्ठ यंत्री, बैंक अधिकारी-कर्मचारीगण, अधिवक्ता अशोक जैन एवं लवकुश चतुर्वेदी उपस्थित रहे।

DLSA GUNA

नेशनल लोक अदालत 12 को, रथ द्वारा हो रहा प्रचार-प्रसार

बुरहानपुर ● जिला न्यायालय, बुरहानपुर में 12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, सिविल मामलें, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा के क्लेम प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय, बैंक वसूली, पारिवारिक विवाद मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के उद्देश्य से बुरहानपुर शहरी क्षेत्र, शाहपुर, नेपानगर, खकनार, धूलकोट क्षेत्र में प्रचार-प्रसार रथ एवं पैरालीगल वालेन्टियर्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

दैनिक भास्कर शिवपुरी भास्कर 26-11-2020

नेशनल लोक अदालत की तैयारियां, बैंक और बिजली कंपनी ने दिया समझौते पर जोर

भास्कर संवाददाता | करैरा

तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा आगमी दिनों 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकिन बुधवार को न्यायालय प्रांगण में एक बैठक का आयोजित किया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने लोक अदालत में रखे जाने वाले प्री लिटिगेशन प्रकरणों में प्री सिटिंग के माध्यम से विद्युत अधिनियम, बैंक प्रकरणों को सरलता पूर्वक निपटान करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित दिए। बैठक में मुख्यत प्री लिटिगेशन के माध्यम से प्रकरण न्यायालय आने से पूर्व भी निराकृत किए जाने पर बल देकर न्यायालय में लंबित प्रकरणों के उचित रूप से समझौता शुल्क ग्रहण कर निराकरण पर बल दिया गया। गौरतलब यह है कि विद्युत चोरी के मामले में न्यायालय में लंबित प्रकरण में 22 फीसदी एवं विद्युत विभाग द्वारा निर्मित प्रकरण न्यायालय में संस्थित नहीं किए गए है उसमें 40% की छूट प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला, विपेंद्र सिंह यादव, मोहित श्रीवास्तव, दयाल सिंह सूर्यवंशी, विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री पाराशर, सहायक यंत्री, समस्त डीसी के कनिष्ठ यंत्री, बैंक अधिकारी-कर्मचारी एवं अधिवक्ता मौजूद थे।

Online Training and Webinar

Online Dispute Resolution

"Community Mediation Training"

"Online Mediation Training of volunteers "Yadav Community"

(02.11.2020-11.11.2020)

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2020-11-12 | Page-4
ehitavada.com

MPSLSA organises Online Community Mediation Programme for 20 hours

- A senior retired personnel completed the 20 Hrs training despite having received 40 hrs training event under Institute of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi

Staff Reporter

THE Online Community Mediation Programme for 20 Hours, organised under the aegis of Madhya Pradesh State Legal Service Authority (MPSLSA) with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee, is a very important step towards encouraging access to mediation. The programme commenced through online mode today extending to participants of Yadav Community in 09 districts. Among the participants one senior retired personnel also successfully completed the 20 Hrs training scheduled despite having received 40 Hrs Training Programme under the Institute of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi and he would now be competent to render his services in Madhya Pradesh.

Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society. The topics of the programme will include psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Giribala Singh and Rajiv Karmahe- Judge Mediator, Potential Trainer.

Community Mediation Programme be implemented in each districts of State by the District Legal Services Authority units while M.P. State Legal Services Authority provides trainers to impart training to Community Mediation Volunteers.

Powered by Bharat Web Pvt Ltd

The occasion of Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee is a very important step towards encouraging access to mediation. The programme commenced through online mode extending to participants of Yadav Community in 09 districts (Satna, Bhopal, Ratlam, Hoshangabad, Ujjain, Rewa, Indore, Raisen & Tikamgarh)

Among the participants one senior retired personnel also successfully completed the 20 Hrs training scheduled despite having received 40 Hrs Training Program under the Institute of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi and he would now be competent to render his services in Madhya Pradesh.

Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level.

The topics of the programme include psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh & Mr. Rajiv Karmahe- Judge Mediator/ Potential Trainer. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

The Community Mediation Programme shall be implemented in each district by the District Legal Services Authority while M.P. State Legal Services Authority will provide trainers to impart training to Community Mediation Volunteers.

Conducting Online and offline Training Programme for Panel Advocates & PLVs by DLSA

DLSA NEEEMUCH

(1)

Online workshop through Google Meet application on "Important provisions and procedures related to check dishonor" by District Legal Services Authority, Neemuch, on 06 November 2020, under the joint aegis of District Legal Services Authority Mandsaur and District Legal Services Authority Jhabua was organized.

In addition to the provisions related to check dishonor, a detailed lecture was given by Chief Judicial Magistrate Neemuch as a subject expert and in response to queries of the participants regarding procedural difficulties, resolving queries etc.

In the workshop, panel lawyers, other advocates, judges and paralegal volunteers from Neemuch, Mandsaur and Jhabua attended the workshop.

(2)

Online workshop on important legal provision and procedure related to drugs cases.

On 20 November 2020, the District Legal Services Authority, Neemuch, under the joint aegis of District Legal Services Authority Mandsaur, an online workshop / legal awareness camp was organized through the Google Meet application on the topic "Important provisions and procedures related to the NDPS Act". The opening address was given by District and Sessions Judge Neemuch Mr. Hridesh. He took the NDPS highlighting the need and usefulness of the creation of the Act (Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985), he directed the subject expert to extend his lectures to the benefits of defense of also not restricting it to prosecution.

Additional District Judge / District Legal Services Authority Neemuch Secretary, while providing information about the design of the workshop, conducted the program, and thanked.

Special Judge (NDPS) Manasa Shri Akhilesh Kumar Dhakad, Special Judge (NDPS) Jawad Shri Nitiraj Singh Sisodia, Special Judge (NDPS) Neemuch Mr. Vivek Kumar,Subject Expert Delivered detailed lectures regarding important provisions of the NDPS Act and the procedure to be followed and answered the queries of the participants.

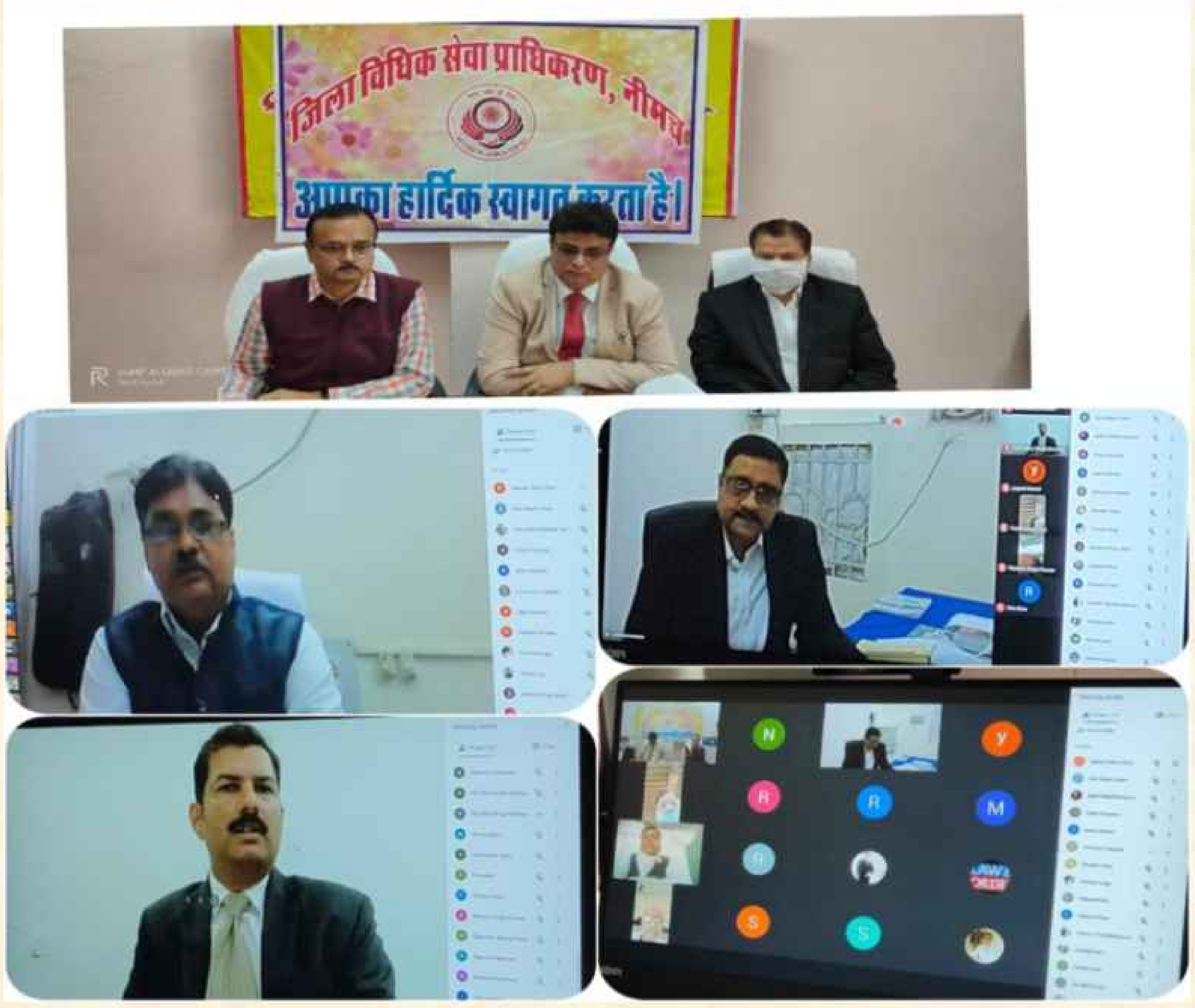

Secretary, District Legal Services Authority Mandsaur and District Legal aid Officer also participated in the workshop Panel lawyers, other advocates, judges and paralegal

volunteers from District Authority Neemuch and Mandsaur also attended the workshop.

It is known that the District Legal Services Authority, Neemuch is organizing a series of lectures for trainning of panel advocates on various legal subjects under the able guidance of District Judge. Workshops have also been organized on the subject of the Protection of Children from Sexual Offenses Act (Pocso Act), Negotiable Instruments Act (NI ACT) and the upcoming workshop on "Important Provisions and Procedures of Juvenile Justice Act" is proposed on 27/11/2020.

DLSA ALIRAJPUR
ORIENTATION PROGRAMME FOR PLVs

Inauguration

NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme 2015

DLSA BHOPAL

Inauguration of Legal Assistance Cell for Labourers on 09th November 2020

Inauguration of Community Mediation Centre

DLSA INDORE – NEMA COMMUNITY

मध्यस्थता केन्द्र में होगा विवादों का निपटारा

ग्वालियर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा अधिकृत ग्वालियर का प्रथम सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ लक्ष्मीगंज स्थित माधव बाल निकेतन में किया गया।

सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ जबलपुर से आए मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति संजय यादव, राज्य विधिक सेवा की सदस्य सचिव गिरीबाला सिंह, राजीव कर्महे, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव अरविंद श्रीवास्तव उपसचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ऋतुराज सिंह चौहान और न्यायाधीश संजय जैन द्वारा किया गया। सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र के संचालक नूतन श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि यहां पर कोर्ट में जाने से पूर्व ही आप अपने प्रकरणों का या अपने विवादों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सुलह के द्वारा कर सकते हैं। इस केंद्र पर किसी भी प्रकार के पारिवारिक विवाद, पति-पत्नी के विवाद, जमीनी विवाद, पड़ोसी से विवाद आदि का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर सिर्फ एक या दो बैठक में ही हो जाएगा। यदि कोई केस पूर्व में कोर्ट में लंबित है और दोनों पक्ष उसे सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से निपटाना चाहते हैं तो वह सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।

DLSA INDORE – KAYASTHA COMMUNITY

सबको न्याय दिलाने सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ

सागर। विवादों को सरलता से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सामुदायिक मध्यस्थता के तहत लॉकडाउन में प्रदेश के 10 जिलों के नेमा समाज के 20 अधिवक्ताओं को आनलाइन प्रशिक्षण मुख्य न्यायाधीश जबलपुर संजय यादव, सदस्य सचिव गिरीबाला सिंह एवं न्यायाधीश राजीव कर्महे ने दिया था। इनमें सागर से सीनियर अधिवक्ता महेश नेमा एवं अधिवक्ता कमलेश नेमा प्रशिक्षित हुए। इस सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र के कार्यालय का गुरुवार को झंडा चौक गोपालगंज में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीआर पाटिल व प्राधिकरण सचिव विधि सक्सेना ने किया। इस दौरान प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता महेश नेमा एवं कमलेश नेमा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे, राजेश कुमार मिश्रा, बीके यादव, पूर्व महापौर मनोरमा गौर, नेमा समाज के जिला अध्यक्ष डीपी नेमा, आनंद नेमा सहित अधिवक्ता बीएन दुबे, रामकुमार व्यास, रामनारायण यादव, रमन जारौलिया सहित अधिवक्ता उपस्थित थे।

DLSA SAGAR

Jail Inspection

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

जिला जेल बैतूल में व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जेल प्रबंधन पर लगते आरोप के चलते जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल के आदेश पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल एवं जिला विधिक सहायता अधिकारीके द्वारा दिनांक 06.11.2020 को जिला जेल बैतूल का औचक निरीक्षण किया गया।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा जेल के सभी बैरको के निरीक्षण के दौरान जेल किचन का भी निरीक्षण किया गया जब किचन में पॅहुचे एवं भोजन संबंधी जानकारी प्राप्त की। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल द्वारा स्वयं ही किचन में भोजन का स्वाद लिया गया। निरीक्षण के दौरान एक बंदी द्वारा पेशी नही होने की समस्या बतायी, जिस पर सचिव द्वारा तुरंत उस मामले के संबंध में जानकारी ली गई तो पाया गया की उक्त मामला भैसदेही न्यायालय में लंबित है, तब उसी समय भैसदेही न्यायालय में दूरभाष पर चर्चा की गई एवं उक्त मामले में ऑनलाईन पेशी किये जाने के संबंध में कहा गया।

जेल में स्थापित चिकित्सा केन्द्र एवं वहां उपलब्ध डॉ. से भी बातचीत की गई। साथ ही महिला बंदी बैरक का भी निरीक्षण किया एवं साफ–सफाई एवं स्वच्छता का भी जायजा लिया तो पाया की सभी बैरको में उचित स्वच्छता पाई गई। इसके साथ ही बंदी एवं उनके परिजनों से मुलाकात कक्ष का भी निरीआण किया गया।

एडीजे ने 58 मिनट किया जेल का निरीक्षण

आलू- पत्ता गोभी की रसीली सब्जी का लिया स्वाद, व्यवस्थाओं पर संतोष जताया

ताप्ती दर्शन बैतूल

व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी जिला जेल बैतूल का शुक्रवार को एडीजे मनोज कुमार मंडलोई ने 58 मिनट तक निरीक्षण किया। पिछले कुछ दिनों में जिला जेल में तीन कैदियों ने खराब भोजन की शिकायत करते हुए आत्महत्या का प्रयास किया, इनमें दो बंदियों ने टॉयलेट क्लीनर पीकर तो एक ने गिलास से खुद का गला काटकर जान देने की कोशिश की। टॉयलेट क्लीनर पीने वाले एक बंदी की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे का उपचार जारी है। इस घटना के बाद गिलास से गला काटने वाले बंदी के मामले में भी खराब खाने की शिकायत ने तूल पकड़ा था, जिसके बाद एडीजे मनोज कुमार मंडलोई ने शुक्रवार को जेल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल का किचन, बैरक एवं स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एडीजे ने विजिटिंग रजिस्टर पर गाईड टू गाईड टीप भी लिखी। इस दौरान उनके साथ विधिक सहायता अधिकारी श्री देहारिया भी मौजूद थे। जेल पहुंचे एडीजे ने जेल अधीक्षक बीके कुडापे एवं अन्य स्टाफ से भी विभिन्न जानकारियां प्राप्त की।

सुबह 11.27 से दोपहर 12.29 तक किया निरीक्षण

जिला जेल का निरीक्षण करने पहुंचे एडीजे जब किचन में पहुंचे तो वहां रोटियां, मूंग की दाल और आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बनकर तैयार थी। कुछ बंदी भोजन भी करते मिले। एडीजे श्री मंडलोई एवं विधिक सहायता अधिकारी श्री देहरिया ने भी जेल में बंदियों के लिए बने खाने का स्वाद चखा, उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा कि जेल में इससे बेहतर क्या मिलेगा। निरीक्षण के दौरान एडीजे ने सभी वार्डों में पहुंचकर बंदियों से मुलाकात की। महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया। एडीजे ने जेल के विजिटिंग रजिस्टर पर लिखी टीप में यह उल्लेख भी किया है कि बंदियों ने जेल प्रशासन को किसी भी व्यवस्था की शिकायत नहीं की। भोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था में भी कोई असुविधा न होने की बात बंदियों ने कही। एडीजे श्री मंडलोई ने हाल ही में अपना गला गिलास से काटने वाले बंदी के बैरक में रहने वाले बंदियों से चर्चा भी की। इस दौरान बंदियों ने भी उक्त बंदी के बीमार रहने के संबंध में जानकारी दी। जेल में स्वच्छता पर भी उन्होंने संतोष जताया। उन्होंने अपनी टीप में बंदियों की परिजनों से मुलाकात और टेलीफोन से मुलाकात व्यवस्था के सुधार होने का भी उल्लेख किया है। श्री मंडलोई ने जेल प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था पर संतोष जताया।

इनका कहना...

जिला जेल में ऐडीजे द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने भोजन भी चखा और जेल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया।

बीके कुडापे, जेल अधीक्षक बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया

जिला जेल दतिया में बंदियों के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव, जेलर श्री भास्कर पाण्डेय उपजेल अधीक्षिका श्रीमति ममता नार्वे, जेल , चिकित्सक जेल स्टॉफ एवं बंदीगण उपस्थित रहे। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा शिविर मे, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, बंदियों के अधिकार एवं लोक अदालत विषय पर विस्तृत जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर द्वारा जेल इंदौर में शिविर एवं निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में बंदियों को उनके अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

Child home Inspection

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा दिनांक 17.11.2020 को सावित्री ज्योतिबाई बालिका गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बच्चों को लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संगत प्रावधानों की सरल भाषा में जानकारी दी गई, साथ ही दीपावली त्यौहार का अवसर होने से बच्चों को पैक स्वल्पाहार प्रदाय किया गया। संस्था के माध्यम से देखरेख करने वाले सभी कर्मचारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं शासन–प्रशासन के द्वारा कोविड–19 से बचाव रखने, साफ–सफाई, भोजन एवं अन्य खान–पान की उचित व्यवस्था करने एवं स्वास्थ्य का लगातार ध्यान रखने के संबंध में निर्देशित किया गया।

DLSA DATIA

dainik jagran date 25 nov 2020

वन स्टाप सेंटर व बाल संप्रेषण गृह का किया निरीक्षण

निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में दी जानकारी

जागरण, रीवा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विपिन कुमार लवानिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में वन स्टॉप सेंटर एवं बाल सम्प्रेषण गृह में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। वन स्टॉप सेंटर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश यादव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा शिविर व निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। श्री लवानिया ने वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं को मिल रही सुविधाओं के संबंध में निरीक्षण करते हुए वन स्टॉप सेंटर के उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। अपर जिला सत्र न्यायाधीश मुकेश यादव ने वन स्टॉप सेंटर में बालिकाओं के संबंध में मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की और आवश्यक सुधार हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये। इस अवसर पर बाल सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण किया गया। विधि के विरोध में किशोरों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई एवं बाल सम्प्रेषण गृह में बालकों को भोजन चिकित्सा इत्यादि सुविधाओं के संबंध में सुधार हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर की शिवानी [illegible] क्षितिज पाण्डेय, सुप्रिया जैन, प्रभा घोष एवं बाल [illegible] रीवा में अधीक्षक जितेन्द्र गुप्ता उपस्थित रहे।

DLSA REWA

Circulation of Pamphlets and Hanbook on Fundamental Duties & Rights published by MPSLSA

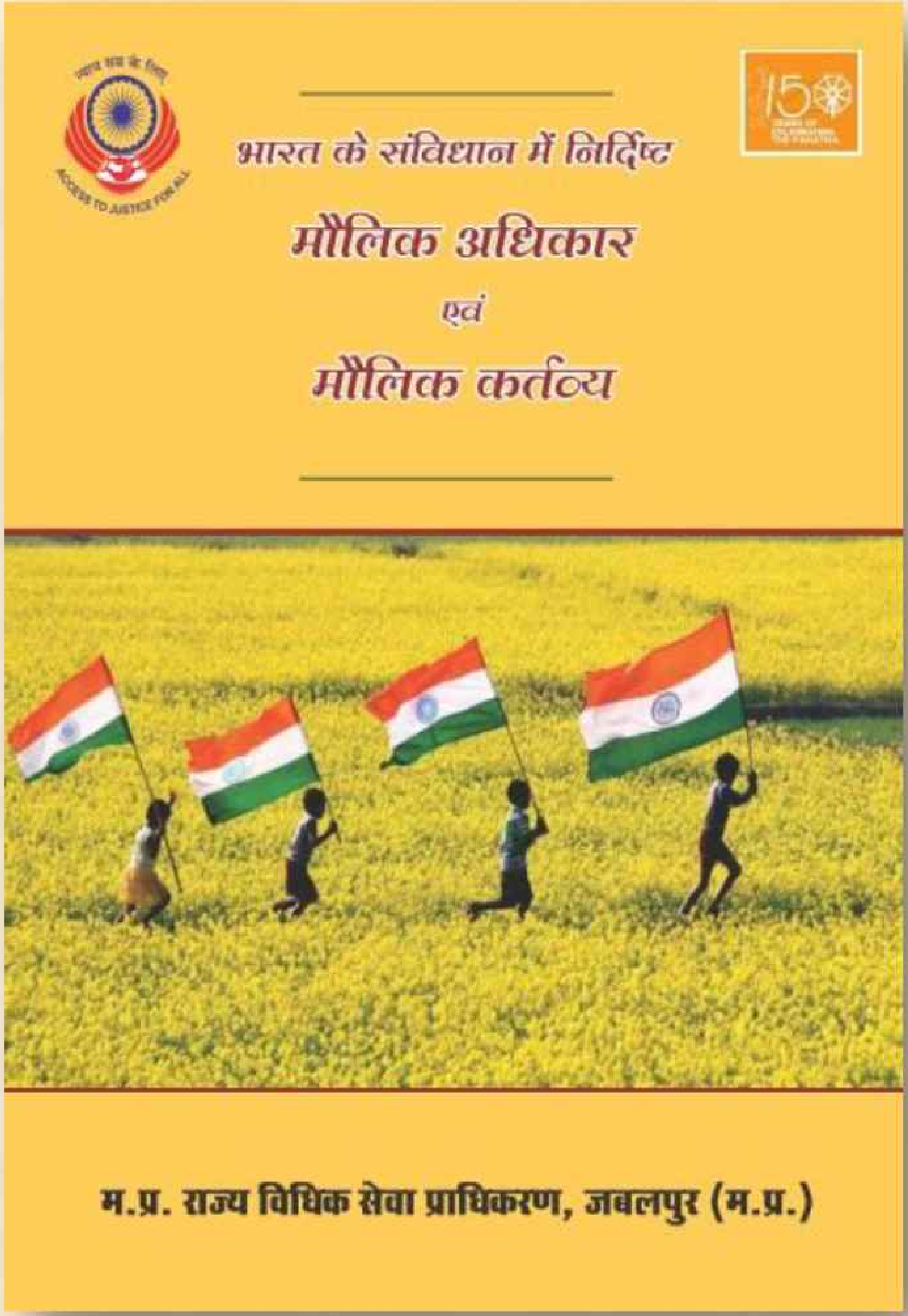

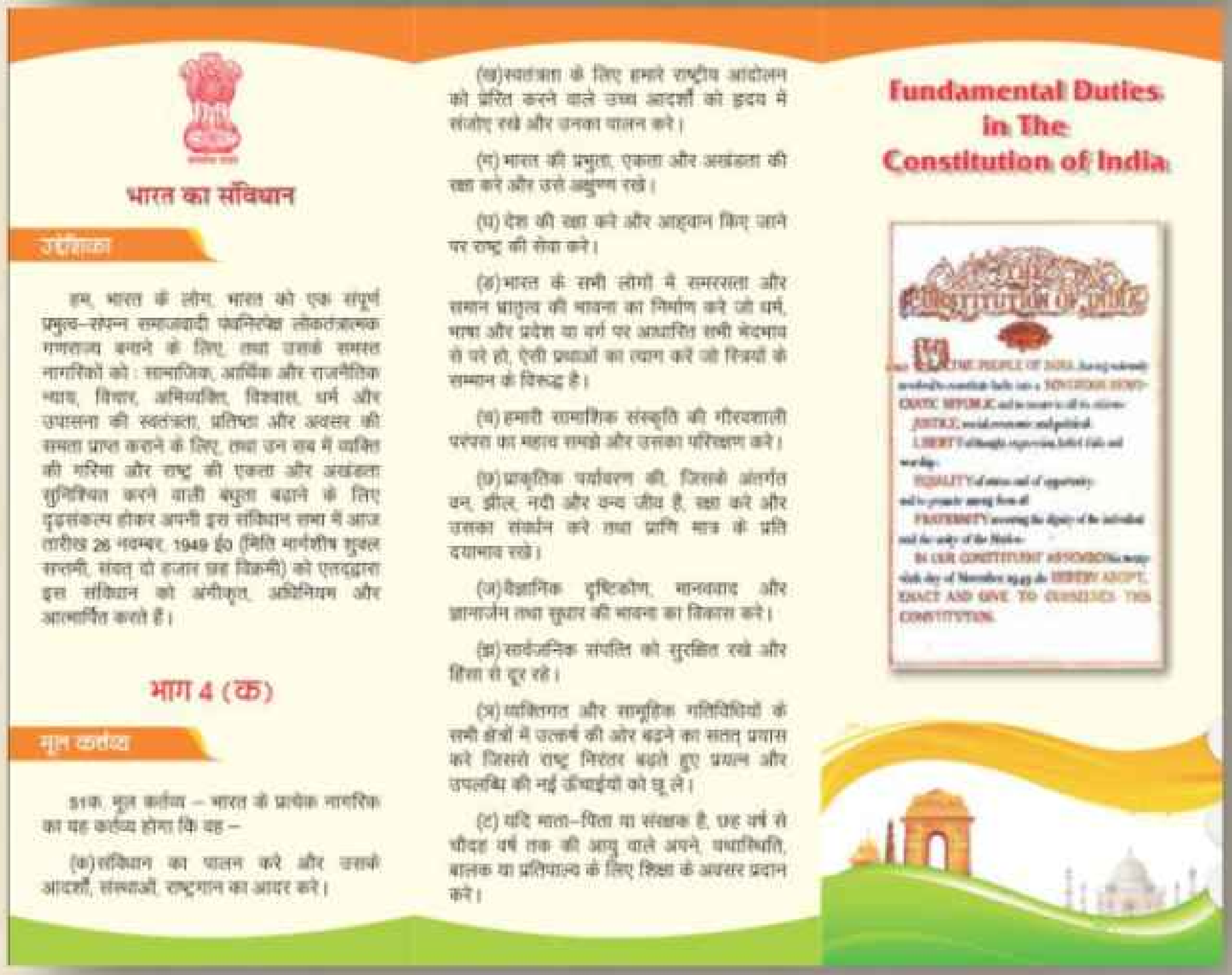

Outreach Activities under Panch "J"

Preserving Our Beautiful Blue Planet

The concept of 'Panch J" i.e. Jal (Water), Jungle (Forest), Jameen (Land), Jan (People) and Jaanwar (Animals) was revisited keeping in view relevant schemes of NALSA are (Effective implementation of Poverty alleviation) Scheme 2015 & NALSA (Protection & Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015. Madhya Pradesh has a large tribal and agrarian population. This has been addressed by Legal Services Institutions at two levels

(a) Needs of those persons whose livelihood is dependent on the environment.

(b) Preserving, protecting and rejuvenating the environment essential to maintain the ecosystem.

Apart from organized tree plantation programmes in coordination with Officers and Officials of the government, DLSAs have taken on the responsibility to prepare monthly reports on activities while spreading the message of Consume less, compost food waste, choose reusable over single-use and creatively re-cycle.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल के मार्गदर्शन में भीमपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत महतपुर जावरा एवं बटकी में जल संरक्षण के किये जाने हेतु पैरालीगल वॉलेटियर/समाजसेवी श्री लवकेश मोरसे द्वारा बोरी बंधान किया गया। महतपुर जावरा के द्वन्डिया नाले में 100 बोरी एवं ग्राम पंचायत बटकी के झिरना नाले में 80 बोरियों वाला बोरी बंधान ग्रामवासियों के सहयोग से बनाया गया। पैरालीगल वॉलेटियर श्री लवकेश मोरसे द्वारा प्रतिवर्ष ऐसे नालो में ग्रामवासियों के सहयोग से बोरी बंधान किया जाता है। उक्त अभियान अक्टूबर–नवंबर माह के अंतर्गत किया जाता है जिससे नाले के आस–पास के खेतों में सिचाई

हेतु जल पर्याप्त मात्र में उपलब्ध रहे जिससे ग्रामवासी स्वयं की खेती कर खाने एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं हेतु अनाज बेच कर अपना एवं अपने परिवार का भरण–पोषण कर सके। उक्त अभियान से ग्रामवासी को खाने हेतु पर्याप्त अनाज उपलब्ध होने से काम की तलाश में अन्यत्र स्थान नही जाते है।

दैनिक ताप्ती दर्शन | बैतूल, बुधवार 04 नवम्बर 2020

बोरी बंधान से जल संरक्षण की अलख

बोरियों से रोका पानी, प्रस्फुटन एवं बीएसडब्ल्यू के विद्यार्थियों का प्रयास

सरपंच, सचिव ने शौचालय

पुराना न्यायालय भवन गिराने का आदेश जारी

पानी की इंतजाम — दडिया नाला में 100 बोरी, बटकी के झिरना नाला में 80 बोरी एवं चीरा में सड़क नाले पर 80 बोरी का बंधान बनाया

जावरा, बटकी व चीरा गांव में किए बोरी बंधान

क्षेत्र में 3 स्थानों पर किया गया बोरी बंधान।

महतपुर जावरा के द्वन्डिया नाल, बटकी झिरना नाला, चीरा के रोड नाला पर हुआ बोरी बंधान

लोक संवेदना दस्तक, 7697767059

दामजीपुरा। बैतूल जिले के भीमपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत महतपुर जावरा एवं बटकी में बोरी बंधान के कार्य हुए दोनों पंचायतों में अलग–अलग जगहों पर बोरी बंधान के कार्य किए गए। जिसमें महतपुर जावरा के द्वन्डिया नाला में 100 बोरी का एवं ग्राम पंचायत बटकी के झिरना नाला में 80 बोरी एवं चीरा में सड़क नाले पर 80 बोरी का बोरीबंधान बनाया गया। बोरी बंधान के लिए समाजसेवी पीएलवी लवकेश मोरसे के द्वारा प्रति वर्ष अक्टूबर–नवंबर के माह में जल संरक्षण हेतु मोटिवेट किया जाता है, बोरी बंधान करना एवं स्टॉप डेमो में कड़ी सटर लगाना जिससे कि छोटी–छोटी नदियों एवं नालों पर पानी को जगह जगह पर रोक सके जिससे कहीं ना कहीं वाटर लेवल में वृद्धि हो पाए और साथ ही कृषक भाइयों को अपनी भूमि पर सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो पाए।

लवकेश मोरसे ने बताया कि मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर प्रस्फुटन समितियों एवं बीएसडब्ल्यू के विद्यार्थियों के द्वारा पंचायत का सहयोग लेकर बोरी बंधान के कार्य पूरे विकासखंड में किए जा रहे हैं।

Success Story

DLSA JABALPUR

Deepawali night when the people at large were in the celebration mode, a wandering person on the streets of Jabalpur near Civil Lines was found homeless and in tottered condition.

On receiving information, the DLSA Jabalpur in coordination with the police officials delivered medical care and through the brief information gathered from the wandering person, he was relocated with his family near Bargi around 30kms from Jabalpur.

DLSA DINDORI

Assistance to Disabled Persons

Reuniting wandering mentally disabled lady with her family members by DLSA Dindori in coordination with the Government agencies and DLSA Shahdol. The lady was restored with her family after 1.5 years of absence.

डेढ़ वर्षों बाद परिजनों से मिली मानसिक अस्वस्थ महिला

डिंडौरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की, मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों के लिए विधिक सेवायें 2015 योजना के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिण्डौरी द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश डीएन मिश्र के मार्गदर्शन में डिण्डौरी नगर में मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों को विधिक सेवायें करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा थाना कोतवाली के निरीक्षक चन्द्र किशोर सिरामे के साथ मीटिंग कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पुलिस विभाग के समन्वय में ऐसे मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों को विधिक सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा हुई। प्राधिकरण के सचिव प्रवीण पटेल द्वारा मानसिक स्व... अधिनियम 2017 के अंतर्गत ... में उचित विधिक सहायता दिलाई जाने में सहायता करने की बात कही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिण्डौरी के द्वारा की गई पहल के परिणाम स्वरूप पुलिस विभाग डिण्डौरी की सक्रियता से मानसिक रूप से अस्वस्थ्य एक महिलाए जो अपने परिवार से लगभग डेढ़ वर्षों से दूर थी, के परिवार की तलाश कर जो कि जिला शहडोल का होना कहा जाता है, से उसे मिलाया गया, महिला के परिवार द्वारा उपस्थित होकर उक्त महिला को अपने साथ उसकी देख-भाल करने हेतु ले जाया गया। इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिण्डौरी की पहल व पुलिस विभाग डिण्डौरी की सक्रियता से डेढ़ वर्षों से अपने परिवार से दूर महिला अपने परिवारजन से मिल गई महिला के परिवारजन को आवश्यकतानसार मानसिक

बैठक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस के सहयोग से हुआ संभव

डेढ़ वर्ष से भटक रही महिला को स्वजनों से मिलवाया

डिंडौरी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना के अंतर्गत जिला न्यायाधीश डीएन मिश्र के मार्गदर्शन में डिंडौरी नगर में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा कोतवाली में बैठक की गई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व पुलिस विभाग के समन्वय से ऐसे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा हुई। प्राधिकरण के सचिव प्रवीण पटेल द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों की खोजकर उनके संबंध में उचित विधिक सहायता दिलाए जाने में सहायता करने की बात कही गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई पहल के परिणाम स्वरूप पुलिस विभाग की ...

डिंडौरी। महिला को लेने कोतवाली पहुंचे स्वजन। ● नईदुनिया

महिला जो अपने परिवार से लगभग डेढ़ वर्ष से दूर थी। उसके परिवार की तलाश की गई। महिला का परिवार जिला शहडोल का होना बताया गया। महिला को उसके स्वजनों द्वारा देखभाल करने के लिए अपने साथ कोतवाली पहुंचकर ले जाया गया। इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल व पुलिस विभाग की सक्रियता से पिछले डेढ़ वर्ष से अपने परिवार से दूर रह रही महिला अपने स्वजनों से मिल गई। महिला के स्वजनों को आवश्यकतानुसार मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के अंतर्गत इलाज उपलब्ध कराए जाने ...

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल

शहडोल शहर मे एस पी बंगला के पास मुख्य सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक निराश्रित और असहाय वृद्ध के पड़े होने की जानकारी स्थानीय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के पैरालीगल वालेंटियर राम शिरोमणी पाण्डेय को दी गयी, उक्त व्यक्ति के दाहिने पैर मे चोट होने के कारण चल भी नही पाता था तथा खुले मे ही पड़ा रहता था, ठंड से बचाव हेतु आमजन द्वारा उसे कंबल दिया गया एवं भोजन दिया जाता था, नागरिकों द्वारा उक्त व्यक्ति के लिये कोई व्यवस्था कराये जाने का आग्रह किया।

दिनांक 07.11.2020 को जानकारी प्राप्त होने पर पीएलवी राम शिरोमणी पाण्डेय द्वारा वहां जाकर वृद्ध से संपर्क करने का प्रयास किया गया। तथा सचिव जिला प्राधिकरण शहडोल के मार्गदर्शन मे निराश्रित और असहाय वृद्ध के पुनर्वास के लिए प्रयास शुरू किया गया। सर्वप्रथम जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की सहायता से वृद्ध का जिला चिकित्सालय में ईलाज करवाया गया। ईलाज पूर्ण होने के पश्चात् उक्त वृद्ध को कल्याणपुर वृद्धाश्रम में भेजा जावेगा।

Other Activities of DLSA's

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया

(1) दिनांक 07/11/2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के पैरालीगल वालेंटियर्स श्री सत्येन्द्र दिसौरिया एवं सुभाष दांगी द्वारा मूकबधिर विद्यालय दतिया में बच्चों को फलों एवं भोजन का वितरण कराया गया।

(2) नालसा (नशा पीढ़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन) योजना के शिविर का आयोजन

दिनांक 19/11/2020 को समर्पण नशा मुक्ति केन्द्र दतिया मे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन) के लिए योजना की विस्तृत जानकारी दी गयी तथा नशा मुक्ति केन्द्र के प्रशासक को संस्थान में मौजूद समस्तजनों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, साफ सफाई, बनाये रखने के संबंधी आदि आवश्यक निर्देश दिए गए। शिविर में अनुमानित 65 व्यक्ति लाभान्वित हुए साथ ही लोगों को नशे के दुष्प्रभाव तथा उसकी बुराईयों के बारे में बताया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी

दिनांक 20.11.2020 को महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से ऑनलाईन विधिक एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के द्वारा 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित होने वाली लोक अदालत का लाभ उठाये जाने के संबंध में चर्चा की गई साथ प्राधिकरण के योजना महिलाओं के अधिकार के संबंध में जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव तथा संक्रमण पर काबू पाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला न्यायालय के मध्यस्थता केन्द्र में दो दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उपरोक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में न्यायालय में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण तथा न्यायालय में आने वाले पक्षकारगणों के स्वास्थ्य का परीक्षण जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के प्रथम दिन दिनांक 04.11.2020 में कुल 165 सैंपल की जांच की गई तथा दूसरे दिन दिनांक 05.11.2020 में कुल 71 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें कुल तीन व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव पाये गये।

Celebrating Legal Services Day
(09.11.2020)

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2020-11-10 | Page- 4
ehitavada.com

MPSLSA holds Legal Service Day programme at office

The programme organised on Legal Service Day at MPSLSA.

■ Staff Reporter

LEGAL Service Day was observed under the guidance of Justice Sanjay Yadav, Patron-in-Chief and Executive Chairman, MP State Legal Services Authority in Madhya Pradesh State Legal Services Authority office and all District Legal Services Authorities, on Monday.

The Legal Services Day is observed every year on November 9 as the Legal Services Authorities Act 1987 was enacted on this date. Under this Act, Legal Service Institutes have been set up across the Country to provide legal services along with organizing camps and Lok Adalat especially for the needy and marginalized sections of the society.

A brief programme was organized in the State Legal Services Authority while following the covid-19 protocol. In the said programme, the activities organized in the last year and the results achieved were discussed and the target activities to be undertaken in the coming year were also discussed ensuring that benefit of Legal Service Schemes reaches to needy persons in every corner of society. Further, discussions were also held regarding the smooth and effective organization of Lok Adalat to be held on December 12, 2020 while adhering COVID 19 guidelines.

Giribala Singh Member-Secretary, D.K. Singh, Additional Secretary, Arvind Shrivastava Deputy Secretary, Zeeshan Khan and Jeetendra Mohan Dhurve DLAOs along with other Officers and employees of MP SLSA were present.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

On 09.11.2020 under the guidance of Hon'ble Shri Justice Sanjay Yadav, Hon'ble Patron-in-Chief & Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority, Legal Services Day was organized in Madhya Pradesh State Legal Services Authority office and all District Legal Services Authorities. The Legal Services Day is observed every year on 09 November as the Legal Services Authorities Act 1987 was enacted on this date.

On this occasion, a brief programme was organized in the State Legal Services Authority while following the covid-19 protocol wherein the activities organized in the last year and the results achieved were discussed and the target activities to be undertaken in the coming year were also discussed ensuring that benefit of legal service Schemes reaches to needy persons in every corner of society. On this occasion some DLSAs distributed certificates of under Social Security Pension Scheme.

Similar programmes were also organized by different District Legal Services Authorities across the State in Jails, observation homes, schools, colleges and Gram Panchayats etc. DLSA Jhabua in coordination with Social Justice Department and Janpad Panchayat Jhabua, approved 10 matters under Social Security Pension Schemes during the camp and also certificates were distributed to said beneficiaries. Beneficiaries also felicitated with Shawls and Shreephals.

Further, discussions were also held through Video Conferencing from DLSAs regarding the smooth and effective organization of National Lok Adalat to be held on 12.12.2020 while adhering to Covid 19 guidelines.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

आज दिनांक 09.11.2020 को जिला न्यायालय परिसर झाबुआ के प्रांगण में कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये विधिक सेवा दिवस का आयोजन किया गया जिसमें साक्षरता शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम में जिला न्यायालय के सभी न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण तथा पक्षकारगण उपस्थित रहे। उपस्थित अधिवक्तागण एवं पक्षकारों को विधिक सेवा दिवस के महत्व के बारे में बताया गया **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 को दिनांक 09.11.1995 को लागू किया गया था।** उसी उपलक्ष्य में विधिक सेवा दिवस आज के दिन मनाया जाता है जिसमें विधिक सेवा संबंधी सालसा एवं नालसा की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता, विवाद विहीन ग्राम योजना 2000 एवं नालसा की वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, नशा पीड़ितों, आदिवासियों के संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण एवं जन उपयोगी योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी काफी अधिक संख्या में भाग लेकर सहभागिता की गई। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, भरण–पोषण कानून, महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। मनरेगा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, लोक उपयोगी लोक अदालत आदि योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जिला न्यायाधीश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुये बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोरोना काल में भी सभी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा एवं कोरोना काल में 75 विधिक सहायता के प्रकरण स्वीकृत किये गये है विधिक सेवा दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुये सभी को लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गई।

कार्यक्रम में विधिक सेवा के माध्यम से आदिवासी समुदाय/जनजाति के सदस्यों को मध्यप्रदेश शासन के समाज कल्याण विभाग एवं जनपद पंचायत झाबुआ की जन कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 10 प्रकरण शिविर में ही स्वीकृत कराकर पेंशन स्वीकृति के प्रमाण–पत्र हितग्राहियों को प्रदान किये गये एवं उन्हें शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। 10 पेंशन प्रकरण जिसमें सामाजिक सुरक्षा, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के हितग्राहियों श्रीमती केशरी डामोर पति स्व. श्री मुनसिंह डामोर, श्रीमती वालींबाई चौहान पति श्री देवजी चौहान, कु. अतीका शेख पिता श्री रफीक मोहम्मद, श्रीमती रेखा भूरिया पिता श्री राजेश भूरिया, श्रीमति सुमित्रा बसोड पति स्व. श्री मुन्ना बसोड, श्रीमती कसमा बेवा पति रदू परमार, श्रीमती राजू बेवा पति जुला डामोर, श्री मानसिंह दोला, श्री बाबु बच्चु एवं श्रीमती बदली ,खुमसिंह को पेंशन प्रकरण स्वीकृत कराकर प्रमाण–पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम से लगभग 250 व्यक्ति लाभांवित हुये।तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में भी विधिक सेवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये।

DLSA JABALPUR

On 9 November 2020 on the occasion of Legal Service Day a camp conducted while adhearing Covid- 19 protocol at Hitkarini Law College. In the said camp, Secretary, District Legal Services Authority and District Legal Aid Officer, shared information about various laws as well as information of Legal Aid Clinic, Paralegal Volunteers Scheme and various schemes of National Legal Services Authority and State Legal Services Authority. On this occasion, Mr. Vivek Singh, Principal Hitkarini Law College, Mr. Heera Singh Bais, Panel Advocate, Teacher Staff and students were present.'

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 09 नवम्बर 2020 के अवसर पर ग्राम खेड़ला के ग्राम पंचायत भवन में जिला विधिक सहायता अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, श्री प्रभुदयाल यादव, सरपंच तथा पटवारी की उपस्थित रहे।

Activities of DLSA

Awareness camps on Importance & Role of Legal Services Institutions on the occasion of Legal Services Day by DLSAs

DLSA GUNA

DLSA HOSHANGABAD

DLSA JABALPUR

DLSA MANDLESHWAR

DLSA MORENA

DLSA NEEMUCH

DLSA SINGRAULI

DLSA MANDLA

DLSA DAMOH

DLSA BURHANPUR

DLSA ALIRAJPUR

DLSA CHHATARPUR

DLSA ANUPPUR

DLSA VIDISHA

DLSA RAJGARH

DLSA SIDHI

Legal Awareness camps (Contd…) through Virtual mode

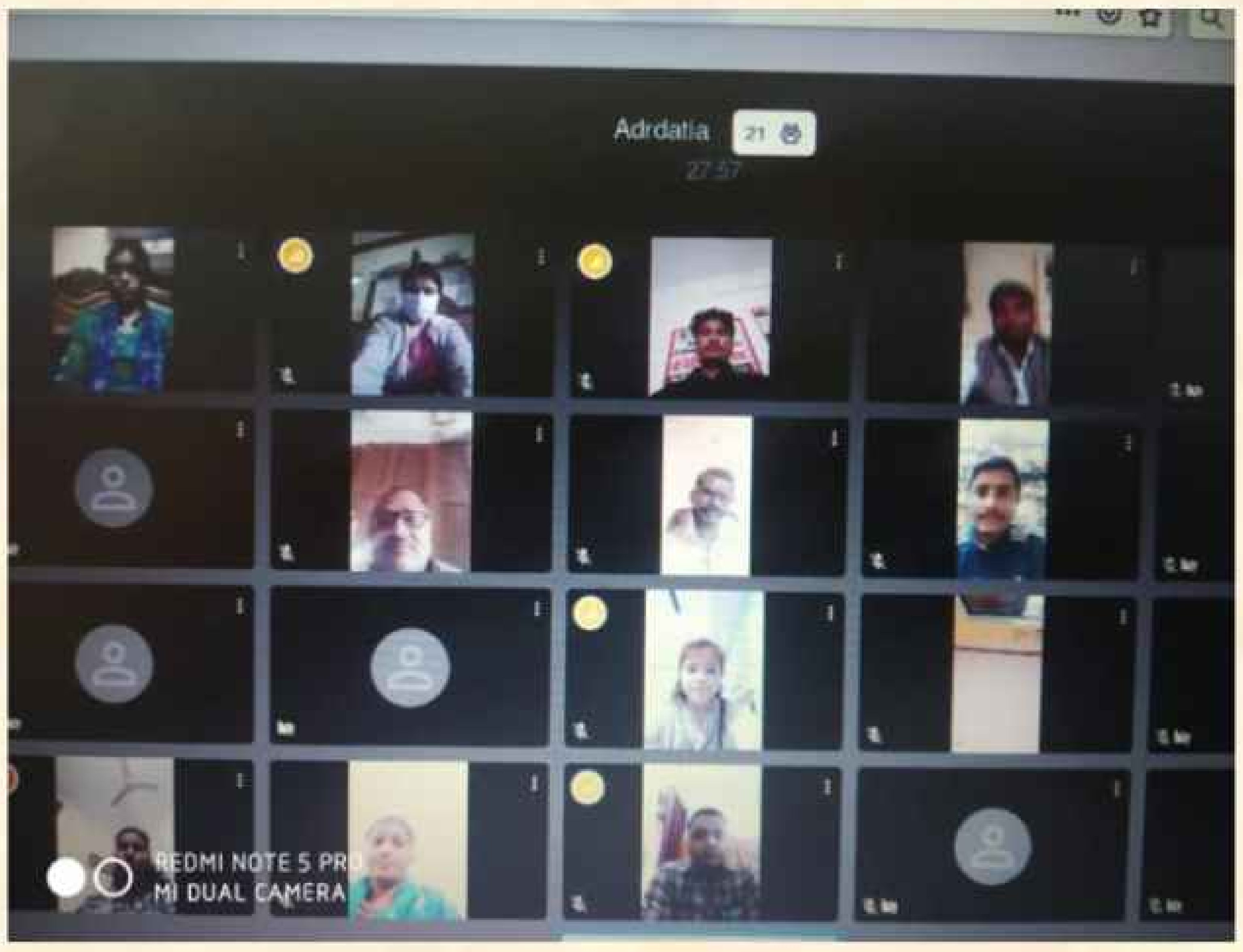

DLSA SHIVPURI

DLSA DATIA

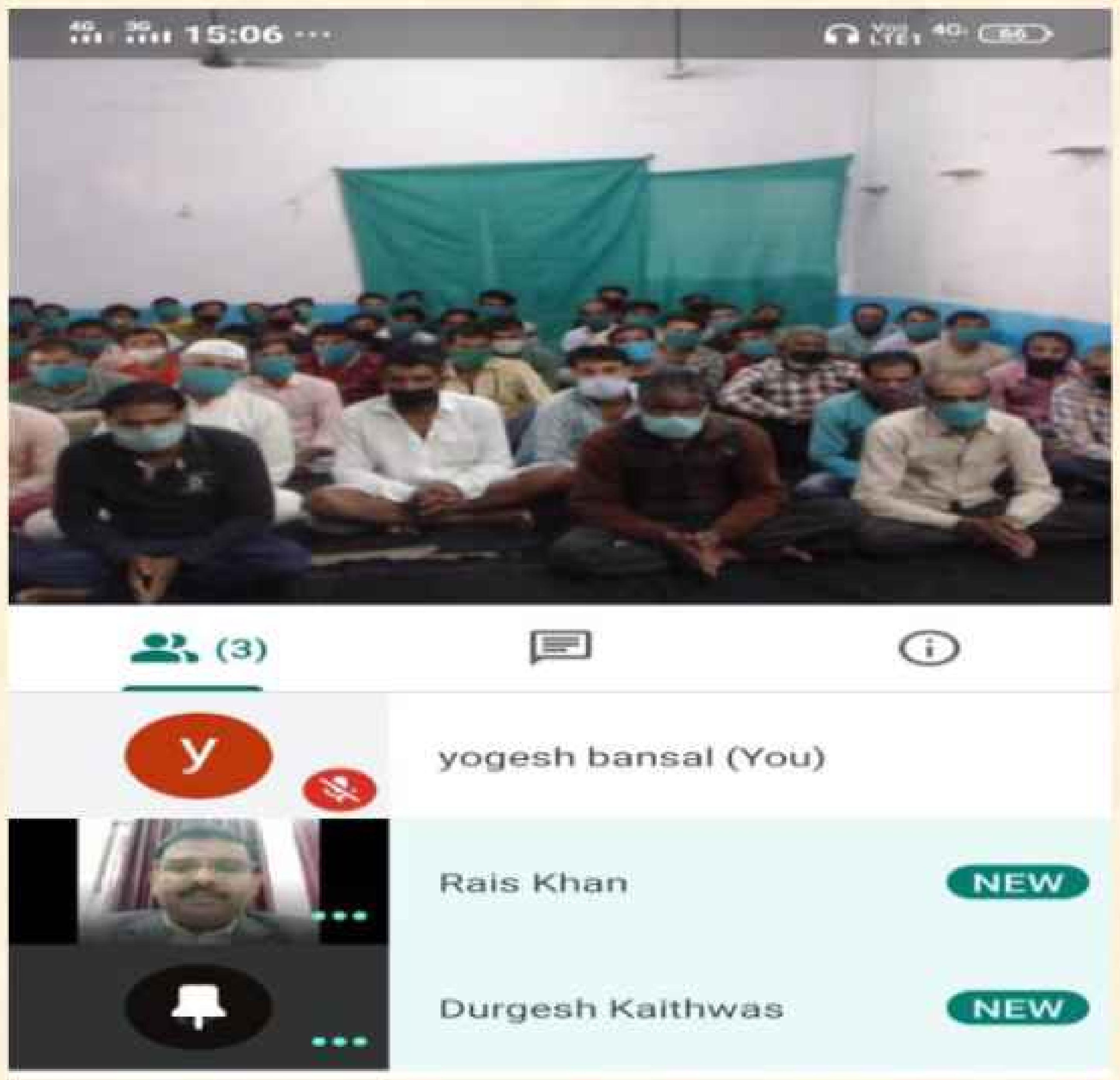

DLSA CHHINDWARA

DLSA MANDSAUR

Tree Plantation Drive on Legal Services Day

DLSA UJJAIN

Celebrating National Education Day
(11-11-20)

DLSA ANUPPUR

National Education Day was organized on 11-11-20 at Mamta Bal Griha Anuppur. On this occasion painting competition was organized among children. 12 children participated in the program, who have made attractive paintings. The winning children were rewarded.

DLSA NEEMUCH

The birth day of Maulana Abul Kalam Azad, the first Education Minister of the country, is celebrated every year on 11 November as National Education Day. In the same sequence, today, on 11 November 2020,in the ADR centre building located on the premises of District and Sessions Court Neemuch legal awareness camp was organized by District Legal Services Authority, Neemuch, following the Corona protocol. Students and teachers of Excellent H.S.school Neemuch participated in the camp. An essay competition was also held on this occasion.

Certificate distribution by DLSA

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया

दिनांक 11 नवम्बर 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर ए.डी.आर. भवन में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थितजन/पीएलव्ही. को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के संबंध में जानकारी दी तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम संबंधित कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया। साथ ही नालसा की बच्चों की मैत्रीपूर्ण योजना, पाक्सो अधिनियम एवं कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। इसी दिवस पर आजाद इंटर कॉलेज दतिया में भी विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें उपस्थित छात्र–छात्राओं को कानूनी प्रावधानों एवं नागरिक अधिकारों की जानकारी दी गयी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिण्डौरी

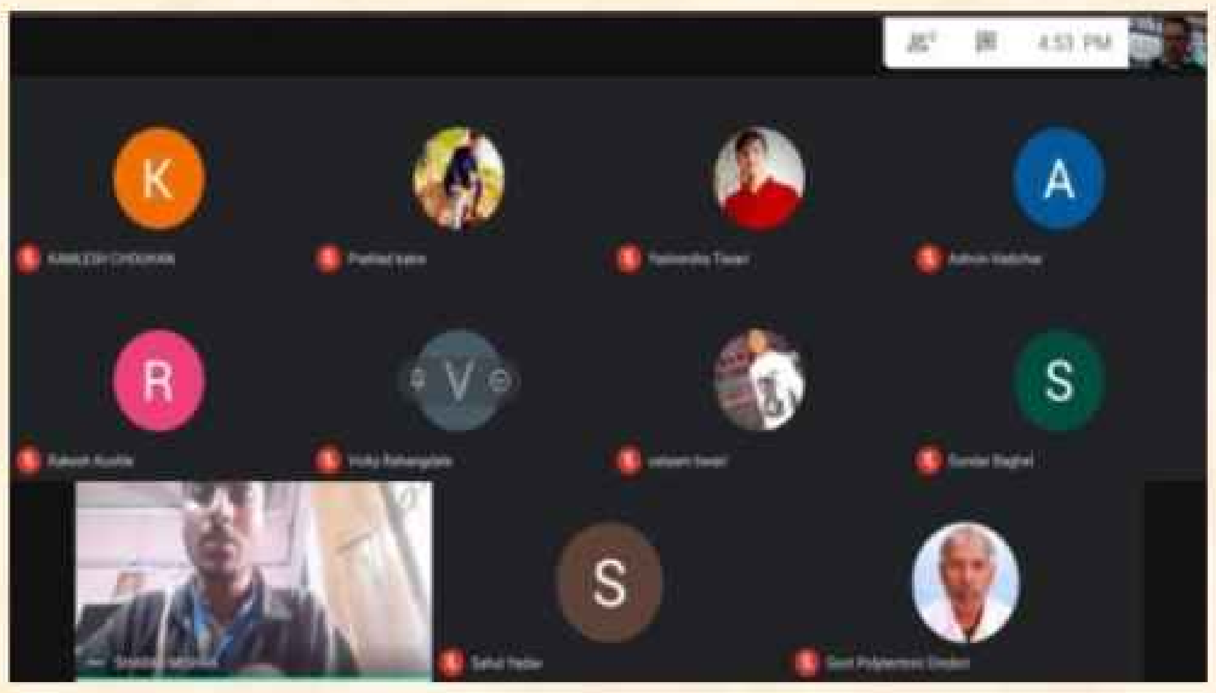

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिण्डौरी द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साक्षरता शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ऑन लाईन माध्यम से किया गया। उक्त शिविर में शासकीय पोलिटेक्निक कालेज डिण्डौरी के छात्रों ने क्विज काम्पटीशन में भाग लिया, उक्त कार्यक्रम में छात्रों को शिक्षा के अधिकार संबंधी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर

दिनांक 11/11/2020 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा गर्वमेंट कॉलेज नेपानगर से ऑनलाईन वेबिनार का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर, कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राजू समकाले, शिक्षकगण एवं 65 विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।

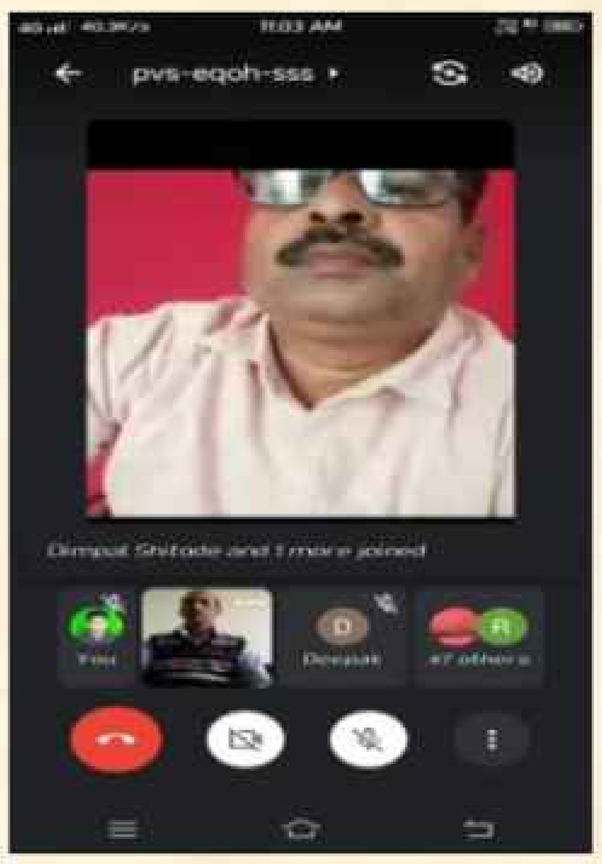

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा दिनांक 11 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस परआदर्श बालगृह मण्डला में चित्रकला प्रतियोगिता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त शिविर में नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 की विस्तृत जानकारी दी एवं चित्रकला प्रतियोगिता के सहभागी बच्चों को पुरूस्कार वितरित किये गये।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इतिहास एवं महत्व हर छात्र को पता होना चाहिए-: अपर सत्र न्यायाधीश

। दैनिक बुंदेलखंड बुलेटिन ।
दतिया । म.प्र

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इतिहास एवं महत्व हर छात्र को पता होना चाहिए: न्यायाधीश

जिला न्यायालय में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

भास्कर संवाददाता | दतिया

दस बिजली बकायादारों के काटे कनेक्शन

दैनिक भास्कर बुरहानपुर 12-11-2020

खंडवा, गुरुवार 12 नवंबर, 2020 | 16

मौलाना आजाद कहते थे मातृभाषा में ही होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा- न्यायाधीश पटेल

वेबीनार के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती

भास्कर संवाददाता | नेपानगर

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार बुधवार को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान ऑनलाइन वेबिनार हुआ। इसमें मुख्य वक्ता अपर जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र पटेल थे। उन्होंने कहा मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते थे प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए।

वेबीनार में प्राध्यापक और विद्यार्थी भी शामिल रहा। न्यायाधीश पटेल ने कहा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने पूरे जीवनकाल में महिलाओं और बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए अधिक से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने के प्रयास किए। शिक्षा के क्षेत्र में हमें निरंतर प्रयास करते हुए अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि समाज में कोई निरक्षर नहीं रहे। न्यायाधीश पटेल ने शिक्षा के अधिकार संबंधी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा सामाजिक बुराइयों को दूर करने लिए भी शिक्षा जरूरी है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, मुंशी प्रेमचंद, श्रीकृष्ण सरल गुरुदत्त और अन्य साहित्यकारों का साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वेबीनार में प्राचार्य डॉ.राजू सपकाले ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन पर प्रकाश डाला। संजीव कुमार सपकाले ने सभी विद्यार्थियों को मौलाना अबुल कलाम आजाद पर आधारित ऑनलाइन निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वेबीनार में जिले के कॉलेजों के प्राध्यापक और विद्यार्थी शामिल हुए। आभार डॉ. मायाराम चौहान ने माना।

वेबीनार के माध्यम से न्यायाधीश और प्राध्यापकों ने ऑनलाइन विचार रखे।

Celebrating Children's Day
(14.11.2020)

DLSA ANUPPUR

In order to arouse interest in arts and hard work, the children were taught to paint on "Diyas" (Earthen lamp), in collaboration with the Department of Women and Child Development. 12 children participated in the program. The program was launched on 11-11-2020 on the occasion of "National Education Day". The program was concluded on the occasion of "Children's Day" on 14-11-20. Painted lamps were sold. New clothes, sweets, crackers were distributed to all the children participating in the program.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी

दिनांक 14 नवम्बर 2020 को बाल दिवस के अवसर पर कार्यालय अधीक्षक विशेष गृह सिवनी सुधारालय सिवनी में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। उक्त निबंध प्रतियोगिता में अशोक खातरकर ने प्रथम स्थान, आयुष बेन ने द्वितीय स्थान तथा आकाश गायकवाड़ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा दिनांक 14/11/2020 को बाल दिवस के अवसर पर सहारा बाल गृह बुरहानपुर में शिविर का आयोजन किया गया। सहारा बाल गृह में इस उपलक्ष्य पर बच्चों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें सभी बच्चों ने विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर एवं निबंध प्रतियोगिता कर बाल दिवस मनाया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को दिनांक 27/11/2020 को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरूस्कार क0 सुशील कुमार, राजू पाटील, सुमित शिवकुमार और रोहित अशोक को वितरित किये गये।

Celebrating International Childrens day (20.11.2020)

Webinar on prevention on abuse, child rights

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं वर्ल्ड विजन इंडिया जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 20.11.2020 को United Nations Convention on the Rights of the Child Day एवं World Day for the prevention of Child Abuse **''चुप्पी तोडो, बाल यौन शोषण रोको''** विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि वक्ता के रूप में श्रीमती गिरिबाला सिंह, सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहभागिता की गई। उक्त कार्यक्रम में बाल श्रम, नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना 2015, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12, किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा चाईल्ड पोर्नोग्राफी आदि विषय पर वक्तव्य दिया गया।

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2020-11-21 | Page- 3
ehitavada.com

Webinar on prevention on abuse, child rights held

People can contact Legal Authorityoffice or toll free number 15100.

■ **Staff Reporter**

A WEBINAR on "Chuppi Todo, Bal Yon Shoshsan Roko' organised to mark the United Nations Convention on the Rights of the Child Day and World Day for the prevention of Child Abuse was organised on Friday. The webinar was organised under joint banner of Madhya Pradesh State Legal Service Authority, Jabalpur and World Vision India, Jaipur.

As guest speaker the Member Secretary of the MPSLSA, Giribala Singh attended the webinar. In the programme Child Labour, National Legal Service Authority run child friendly legal services and various legal service for their protection scheme 2015, legal service authority act 1987 section 12, adolescent justice act 2015 and child pornography and others subjects were discussed.

Member Secretary addressing the participants and children said that children are future citizen of the country and they should learn and grown with concentration. For any legal assistance they could contact to nearby Legal Authorityoffice or can contact on toll free number 15100.

MPSLSA Member Secretary, Giribala Singh addressing webinar organised by MPSLSA and World Vision, on Friday.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

Celebrating Constitution Day
(26.11.2020)

On 26 November, 2020 on the occasion of constitution day from 03.30 PM, Shri Justice Sanjay Yadav, Hon'ble Acting Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh and Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority in gracious presence of other Hon'ble Judges of High Court, Jabalpur addressed all DLSAs of State and said that all legal services institution will insure that access of benefit of every scheme shall reach to every needy person of the society.

In the said program selected litigation free Village Malpathar (Vangram) District Mandla E-inaugurated under Litigation free village scheme 2000 of MPSLSA. Legal Assistance Cell for Labour also E-inaugurated under DLSA Anuppur and Chhatarpur. On this occasion, 02 Community Mediation Centers of Kayasth Community at Gwalior were also E-inaugrated by Hon'ble the Patron-in-Chief.

This important step will pave the way for settlement of cases in the society in a harmonious and amicable manner. Mediation is a free process, in which no party loses, and the mediation settlement that is agreed & reached by the conflicting parties attains finality.

The selection of Litigation Free Village is an important step towards establishing a dispute less society. Free legal assistance will be provided to labours through Legal Assistance Cell for Labour.

Media Coverage

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2020-11-27 | Page- 4
ehitavada.com

Madhya Pradesh State Legal Service Authority

■ Staff Reporter

TO MARK the Constitution Day a special programme was organised by the Madhya Pradesh State Legal Service Authority (MPSLSA), on Thursday,. Justice Sanjay Yadav, Acting Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh and Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority in gracious presence of other Judges of High Court, Jabalpur addressed all DLSAs of State and said that at legal services institution with insure that access of benefit of every scheme shall reach to every needy person of the society. In the programme, selected litigation free Village Malpathar (Vangram) District Mandla E-inaugurated under Litigation free village scheme 2000 of MPSLSA. Legal Assistance Cell for Labour also e-inaugurated under DLSA Anuppur and Chhatarpur.

Two Community Mediation Centres of Kayasth Community at Gwalior were also e-inaugurated by the Patron-in-Chief. This important step will pave the way for settlement of cases in the society in a harmonious and amicable manner. Mediation is a free process. The selection of Litigation Free Village is an important step towards establishing a dispute less society. Free legal assistance will be provided to labourers through Legal Assistance Cell for Labour.

समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे विधिक योजनाओं का लाभ

संविधान दिवस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस का सम्बोधन

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव ने कहा कि विधिक सेवा संस्थानों को समाज के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक विधिक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए कार्य करना चाहिए। इस सेवा कार्य से विधिक सेवा संस्थान संविधान में वर्णित आदर्शों को पूरा कर सकते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस श्री यादव ने उक्ताशय के उद्गार प्रदेश के सभी विधिक सेवा प्राधिकरणों को संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का आयोजन मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया था।

विधि प्रकोष्ठ | विधि प्रकोष्ठ द्वारा सिल्वर जुबली हॉल में संविधान दिवस पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया।

विवाद विहीन ग्राम और मध्यस्थता केन्द्रों का ई-शुभारंभ | संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मंडला के ग्राम मलपठार को विवाद विहीन ग्राम घोषित किया। इसके अलावा ग्वालियर में कायस्थ समुदाय के दो मध्यस्थता केन्द्रों और अनूपपुर और छतरपुर में श्रमिक विधिक सहायता प्रकोष्ठ का ई-शुभारंभ किया।

महाकोशल-विन्ध्य अधिवक्ता संघ | महाकोशल-विन्ध्य अधिवक्ता संघ द्वारा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सिल्वर जुबली हॉल में संविधान एवं अधिवक्ता दिवस का आयोजन किया गया। रमन पटेल, मनीष तिवारी, सुधीर नायक और राजेश तिवारी मौजूद थे।

Fri, 27 November 2020
दैनिक भास्कर https://epaper.bhaskarhindi.com/c/56630999

सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र व विधिक सहायता प्रकोष्ठ खुलने से वैकल्पिक न्याय प्रणाली होगी मजबूत

ई-उद्घाटन करते हुए बोले हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने कहा कि सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र व विधिक सहायता प्रकोष्ठ खुलने से वैकल्पिक न्याय प्रणाली मजबूत होगी। वे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर में स्थापित कायस्थ समुदाय के दो सामुदायिक मध्यस्थता केंद्रों और अनूपपुर में स्थापित श्रमिक विधिक सहायता प्रकोष्ठ का ई-उद्घाटन किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उक्त अवसर पर विवाद विहीन ग्राम योजना-2000 के अंतर्गत चयनित विवाद विहीन ग्राम मलपठार, वनग्राम, जिला मंडला का ई-शुभारंभ भी किया। उन्होंने भरोसा जताया कि जिन प्रकल्पों का शुभारंभ हुआ है, उनसे सहज-सरल व त्वरित न्यायदान की प्रक्रिया को गति मिलेगी। अतिरिक्त सचिव डीके सिंह ने बताया कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कार्यपालक अध्यक्ष सहित अन्य ने सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किए। कानून के विद्यार्थियों को इससे काफी लाभ हुआ।

विधि एवं मानवाधिकार विभाग का आयोजन : राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा शहर कांग्रेस कमेटी, विधि एवं मानवाधिकार विभाग के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करने से नागरिकों की रक्षा होती है। भारत का लोकतंत्र संविधान की नींव पर टिका है। इस दौरान जिला बार अध्यक्ष सुधीर नायक, सचिव राजेश तिवारी, पूर्व सचिव संपूर्ण तिवारी, सत्येंद्र ज्योतिषी, राजू मलैया, मीनाक्षी सोनी, प्रशांत तिवारी, रवि यादव, बब्बू यादव, मनीष मिश्रा, वृजेश दुबे सहित अन्य मौजूद रहे। सभी ने संविधान दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही संविधान की रक्षा का संकल्प लिया।

हाई कोर्ट व विधिक सेवा प्राधिकरण में मनाया गया संविधान दिवस

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के सिल्वर जुबली सभागार व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभाकक्ष में गुरुवार को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान विधि वेत्ताओं ने अपने विचार रखे।

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने संविधान की मूलभुत व्याख्या करके सुनने वालों को भाव-विभोर कर दिया। इसी तरह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना का व्याख्यान भी सारगर्भित रहा। सचिव शरद भामकर, विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जीलानी, पैनल लॉयर पीएल विज सहित अन्य ने संविधान की विशेषताएं रेखांकित कीं।

एजीएम ने शपथ दिलाकर मनाया संविधान दिवस

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देशभर में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान के 71 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय में भी शपथ समारोह का आयोजन कर संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पमरे के अपर महाप्रबंधक (एजीएम) शोभन चौधुरी द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी का वाचन किया। इस अवसर पर उपस्थित पमरे के अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की बात दोहराई गई। पमरे मुख्यालय के साथ जबलपुर समेत भोपाल और कोटा में भी रेलवे के आला अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर बड़ी संख्या मे कर्मचारी उपस्थित रहे। संविधान दिवस के अवसर पर एजीएम ने कहा कि हमे अपने दायित्वों को निर्वाह पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने संविधान की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। इस समारोह के साथ-साथ पमरे की सीमा मे आने वाले सभी मुख्य रेलवे स्टेशन और कार्यालय मे भी संविधान दिवस का आयोजन किया गया था।

विधि प्रकोष्ठ का आयोजन : अधिवक्ता सीएम तिवारी के संयोजन में विधि प्रकोष्ठ ने सिल्वर जुबली सभागार में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा, संघ के प्रचारक राजकुमार, पूर्व शासकीय अधिवक्ता राहुल रावत, सचिन जैन, अंकित सिसोदिया, आशीष अग्रवाल, मनहर दीक्षित, ऋषि राज गौड़, तरुण सेंगर, अतुल द्विवेदी, विनय त्रिपाठी, शिवम सहित अन्य शामिल रहे।

महाकोशल विंध्य अधिवक्ता संघ

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार और जिला बार, जबलपुर के सहयोग से महाकोशल विंध्य अधिवक्ता संघ ने सिल्वर जुबली सभागार में संविधान दिवस व अधिवक्ता दिवस का आयोजन किया। इस दौरान हाई कोर्ट बार अध्यक्ष रमन पटेल, सचिव मनीष तिवारी, जिला बार अध्यक्ष सुधीर नायक, सचिव राजेश तिवारी सहित अन्य शामिल रहे। अवधेश तिवारी का व्याख्यान सराहा गया। महाकोशल विंध्य अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता देवेंद्र कुमार शर्मा व उपाध्यक्ष मंजू वर्मा व ज्योति राय ने सभी का आभार ज्ञापित किया।

Empowering Women through Legal Awareness Camp

A Campaign for empowering women has been launched by Hon'ble Executive Chairman of NALSA, On the Country's 74th under joint initiative of NALSA and NCW. In pursuance of scheme Legal Awareness Programme are being organized by DLSA's across the state under the existing protocol. The resource persons enlightened the female participants about laws pertaining to Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012, Dowry Prohibition Act, Child Marriage Prohibition Act, Free Legal Aid, Right to Women's Legal Rights, prevention of sexual offence at workplace act 2013 and, maintenance right, right to equality for women in property, provisions related to crimes against women in IPC as prescribed by NALSA.

No. of camp	No. of beneficiaries
25	2093

DLSA BHIND (05.11.2020)

DLSA CHHATARPUR (07.11.2020)

DLSA HARDA (05.11.2020)

DLSA INDORE (07.11.2020)

DLSA JABALPUR (07.11.2020)

DLSA NARSINGHPUR (04.11.2020)

DLSA RATLAM (04.11.2020)

DLSA RAJGARH (24.11.2020)

DLSA REWA (07.11.2020)

DLSA SEONI (27.11.2020)

DLSA SEHORE (07.11.2020)

DLSA UJJAIN (20.11.2020)

General Information with regard to Inputs Exchanged in the Course of each Camp

Most of the camps were conducted in coordination with the District Authorities and in the said camps the following information was imparted to participants in addition to the topics mentioned above :

1. Information on Laadli Laxmi Yojna imparted in the presence of the government functionaries on the occasion.
2. Schemes to make women self-dependant and information on One Stop Centre, facilities available in Aanganwadis.
3. Settlement of disputes through mediation & various modes of Alternative Dispute Resolution (ADR)
4. Counseling and advice given with regard to certain issues raised on Domestic Violence and dowry.
5. General Information on schemes for the welfare of women including Poshan Abhiyan, Maatra Vandana Yojna, Women Helpline No. (181), Swadhaar Grah, Mahila Shakti Kendra, working women hostel, training for women Heads of Panchayats, Mahila e-Haat, Ujjawala Scheme.
6. Participants were engaged through Question & Answer sessions so that all their doubts and difficulties were cleared.
7. Information on NALSA Helpline 15100.

Media Coverage

महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता शिविर का आयोजन

सत्ता सुधार | सिरली

ग न्यायाधीश श्रीमती शशीकर्ला चंद्रा दर्शन एवं सचिव मा. केएस शाक्य स्थिति में चारूवा में महिला शक्तिकरण कार्यक्रम जागरूकता क्रम आयोजित किया। उक्त शिविर मा. शाक्य सर जिला विधिक सेवा करण सचिव द्वारा प्राधिकरण की लाओं की जानकारी प्रदान कर लाओं के अधिकार कैसे प्राप्त कर ती है। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल ाह, एसिड अटैक, बलात्कार इन विषयों पर अधिकार एवं कर्तव्य के में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।

विकास की उपस्थिति में महिला बाल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

नायब तहसीलदार कुलदीप सिंह द्वारा राजस्व संबंधी योजनाओं की जानकारी। साथ ही आयुष विभाग पड़वा,

उपस्थित महिलाओं को मार्गदर्शन देते हु सभी को औषधि वितरण की। अधिवक्त रचना भारद्वाज एवं श्रीमती श्रद्धा मालवी के द्वारा महिलाओं को मौलिक अधिका एवं कर्तव्य की जानकारी प्रदान क जिला विधिक सहायता अधिकार अभयसिंह द्वारा जिला विधिक योजनाओं की जानकारी। सरपंच संजय नामदेव ने द्वारा पंचायत द्वारा संचित योजनाओं के जानकारी दी, मंच संचालन दिनेश दर्शो व आभार प्रदर्शन महेश तिवारी के द्वार किया गया। सहायक सचिव राउ नामदेव, महिला बाल विकास आश कार्यकर्ता, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्त

...ओं को दी कानून की जानकारी

...पंचायत मझौली ... राष्ट्रीय विधिक ...करण एव राष्ट्रीय महिला ... समन्वय में महिलाओ ...त कानून और मामलों ...त महिला सशक्तिकरण ... शिविर का आयोजन ...। सचिव जिला विधिक प्राधिकरण जबलपुर ...मकर ने कार्यक्रम की ... की। कार्यक्रम मे जिला सहायता अधिकारी एम ... महिलाओं को संबधित अधिकारों एवं उनके कर्तव्यो से संबधित जानकारी अधिवक्ता तुलसा कोष्टा, वर्षा दुबे, अनुराधा दीवान, पंचायत इंस्पेक्टर उमेश मेहरा ने दी। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम मे पर्यवेक्षक पार्वती लोधी, बंदना बाल्मीकि, नगीना सैनी, रश्मि झारिया, आरती महन्त, विजय गुरू, प्रीति जैन, राजकुमार नामदेव, अशोक कुमार विश्वकर्मा, अंकित राजपाल आदि उपस्थित रहे। अन्नपूर्णा श्रीवास्तव ने सभी

FOLLOWING instructions of National Legal Services Authority (NLSA), New Delhi, and Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA), Jabalpur, National Commission for Women organised a camp 'Empowering Women Through Legal Awareness' at village Manjholi, Tehsil Sihora in Jabalpur district under the guidance of Naveen Kumar Saxena, District Judge and Chairman, District Legal Services Authority, Jabalpur, on Saturday.

During the camp, Sharad Bhamkar, Secretary, M Jilani District Legal Aid Officer informed about constitutional provisions and laws related to women. Likewise, Resource person Advocate Varsha Dubey, Advocate Tulsa Kosta, Anuradha Dewan Administrator of One Stop Centre also described in detail the rights of women in property, labour laws, maternity benefits, equal remuneration, Protection ... Domestic ... crime agai... acid attack... ty by husb... ment, dow... maintenan... sexual harassment of women workplace, Protection Children from Sexual Offen...

Senior office-bearers of Legal Services Authority apprising women about legal rights during the camp.

महिलाओं को दी कानून की जानकारी

...धान के ... अपराध ... 2105, ... योजना, ...ना, घरेलू ... संरक्षण ... का

चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम सहित अन्य कई जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी अनीस अब्बासी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य जागरूकता से सशक्तिकरण है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीइओ दिलीप जैन, परियोजना अधिकारी अर्चन वाजपेयी, रिसोर्स पर्सन बरखा वर्मा रंजना शर्मा आदि उपस्थित थे।

महिलाओं के अधिकार बताए

पांढुर्ना @ पत्रिका. समता महाविद्यालय में विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद गोयल ने महिलाओं के अधिकारों, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के बारे में बताया। केन्द्र में पति पत्नी के विवाद, बच्चे की अभिरक्षा एवं सम्पति बंटवारे के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर सुलह की जा सकती है। सपना झुनझुनवाला ने संविधान में समानता का अधिकार पर कहा कि भेदभा... होने पर न्यायालय के द्वार ह... वक्त खुले हुए है। अपर जिल... एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र सिं... तोमर ने भरण पोषण, दहे... प्रतिशोध, घरेलू हिंसा, हि... विवाह अधिनियम व... उत्तराधिकार आदि ... जानकारी दी। संचालन राजे... तलवारकर और आभा... चिंतामन खुरसंगे ने किय... कार्यक्रम में जिला विधि... सहायता अधिकारी रजनी... चौरसिया, प्राचार्य महेन्द्र घो... सहित महिला व अधिका... उपस्थित थे।

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues
22	5

----XXX-----